



राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की जिला आवंटन समिति मानपुर आबूरोड जिला सिरोही की बैठक दिनांक 04.09.2023 को मध्याह्न पश्चात् 3:00 बजे राजस्थान आवासन मण्डल उप खण्ड कार्यालय आबूरोड जिला सिरोही में निश्चित की गई है। उक्त बैठक में घरौंदा-39, आर्थिक दृष्टि से कमजोर-79, अल्प आय वर्ग-65, मध्यम आय वर्ग (अ)-34, मध्यम आय वर्ग (ब)-25 कुल 242 स्वतन्त्र आवासों के विशिष्ट पंजीकरण योजना-2023 में वरियता निर्धारण लॉटरी राजस्थान के राजकॉम्प द्वारा कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली के आधार पर आयोजित की जाएगी। लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक, समय एवं स्थान
1	आवेदन पत्रों की अस्थायी सूची	21.08.2023 सायं 5 बजे
2	आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक	28.08.2023 सायं 5 बजे तक
3	प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थायी सूची	31.08.2023 सायं 5 बजे
4	वरियता निर्धारण की लॉटरी दिनांक	04.09.2023 अपरान्ह 3 बजे
5	संबंधित कार्यालय	मानपुर आवासीय योजना, आबूरोड जिला सिरोही

नोट:- 1. निर्धारित दिनांक तक आक्षेप प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मण्डल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 2. सम्पत्ति निस्तारण हेतु मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। 3. वरियता निर्धारण लॉटरी की सूचना मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाइन देख सकेंगे।